



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2263/2026

चुन्नी लाल

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य।

.....प्रतिवादी(यो)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अब्दुल मजीद, फरोग मजीद, सूफिया सबा

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

"(क) प्रतिवादी संख्या 2 को भा0न्या0 सं0 की धारा 103(1) के तहत केस अपराध संख्या 533/2025, पुलिस स्टेशन-शाही, जिला-बरेली की निष्पक्ष और शीघ्र जांच उनके अधीनस्थ सक्षम जांच अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ख) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन उचित समझे जाने वाले किसी अन्य और आगे के रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(ग) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका पर लागत प्रदान की जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 4.11.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के मददेनजर, याचिकाकर्ता बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला पेश किया गया है, बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह याचिका **निपटायी** जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फरवरी 17, 2026

के यू

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”